

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/वै.शि./

/CSG दिशा-निर्देश/2025-26/

दिनांक:-

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु) दिशा-निर्देश सत्र 2025-26

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2023-24 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जानी है।

1) वित्तीय प्रावधान :-

S.No.	Enrollment as per U-DISE 2023-24	Composite School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :- 1) उपरोक्त तालिका की क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :-

- सर्वप्रथम एसएमसी/एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
- वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
- एसएमसी/एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
- सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई-मेल आईडी smsa.asfe2021@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

3) विद्यालय स्तर :- कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है -

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	दरी पट्टी/दरी।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।
3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
9	चौक, डस्टर।
10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग

क्रस	कार्यापयोग विवरण
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण-पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन/ग्रीन बोर्ड/आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथा: झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्युत भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।

4) **विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :-** कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :-

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रख-रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय / मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय / मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्स्तीनेटर रिपेयर के लिए।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन

नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति-आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) **कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये -**

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/ स्टाफ रुम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

5) **ध्यान देने योग्य बिन्दु :-**

1. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
2. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
4. **राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है -**

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से फरवरी तक
40%	30%	30%

5. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :-

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के तीन दिवस में राशि को ब्लॉक कार्यालयों को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि डाइस 2023-24 के नामांकन अनुसार विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करवाना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा राशि का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :-

1. जिला कार्यालय से राशि आहरण स्वीकृति के तीन दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2025-26 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीईईओ (सीआरसी) कार्यालय :-

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :-

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।
प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

10) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

परिशिष्ट-2

Composite School Grant Budget (Elementary) 2025-26

S no .	District	(Enrol 1- 30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	228	22.800	387	96.750	199	99.500	8	6.000	822	225.0500
2	ALWAR	305	30.500	558	139.500	212	106.000	18	13.500	1093	289.5000
3	BALOTARA	457	45.700	671	167.750	187	93.500	5	3.750	1320	310.7000
4	BANSWARA	1037	103.700	1376	344.000	378	189.000	25	18.750	2816	655.4500
5	BARAN	612	61.200	492	123.000	125	62.500	1	0.750	1230	247.4500
6	BARMER	761	76.100	1281	320.250	402	201.000	7	5.250	2451	602.6000
7	BEAWAR	220	22.000	449	112.250	202	101.000	12	9.000	883	244.2500
8	BHARATPUR	160	16.000	326	81.500	106	53.000	6	4.500	598	155.0000
9	BHILWARA	588	58.800	1053	263.250	499	249.500	6	4.500	2146	576.0500
10	BIKANER	696	69.600	602	150.500	183	91.500	4	3.000	1485	314.6000
11	BUNDI	266	26.600	502	125.500	182	91.000	3	2.250	953	245.3500
12	CHITTAURGARH	445	44.500	647	161.750	256	128.000	3	2.250	1351	336.5000
13	CHURU	288	28.800	374	93.500	160	80.000	4	3.000	826	205.3000
14	DAUSA	495	49.500	491	122.750	113	56.500	0	0.000	1099	228.7500
15	DEEG	98	9.800	273	68.250	140	70.000	10	7.500	521	155.5500
16	DHAULPUR	123	12.300	426	106.500	236	118.000	16	12.000	801	248.8000
17	DIDWANA-KUCHAMAN	464	46.400	337	84.250	97	48.500	1	0.750	899	179.9000
18	DUNGARPUR	984	98.400	1012	253.000	288	144.000	14	10.500	2298	505.9000
19	GANGANAGAR	715	71.500	551	137.750	134	67.000	1	0.750	1401	277.0000
20	HANUMANGARH	241	24.100	295	73.750	113	56.500	1	0.750	650	155.1000
21	JAIPUR	1150	115.000	881	220.250	204	102.000	17	12.750	2252	450.0000
22	JAISALMER	464	46.400	416	104.000	113	56.500	0	0.000	993	206.9000
23	JALOR	287	28.700	746	186.500	322	161.000	18	13.500	1373	389.7000
24	JHALAWAR	424	42.400	636	159.000	267	133.500	3	2.250	1330	337.1500
25	JHUNJHUNU	570	57.000	332	83.000	35	17.500	1	0.750	938	158.2500
26	JODHPUR	862	86.200	693	173.250	189	94.500	8	6.000	1752	359.9500
27	KARAULI	380	38.000	523	130.750	138	69.000	4	3.000	1045	240.7500
28	KHAIRTHAL-TIJARA	116	11.600	240	60.000	133	66.500	21	15.750	510	153.8500
29	KOTA	236	23.600	369	92.250	141	70.500	7	5.250	753	191.6000
30	KOTPUTLI-BEHROR	283	28.300	243	60.750	25	12.500	0	0.000	551	101.5500
31	NAGAU	539	53.900	462	115.500	154	77.000	6	4.500	1161	250.9000
32	PALI	252	25.200	429	107.250	215	107.500	9	6.750	905	246.7000
33	PHALODI	410	41.000	416	104.000	121	60.500	5	3.750	952	209.2500
34	PRATAPGARH	608	60.800	649	162.250	183	91.500	4	3.000	1444	317.5500
35	RAJSAMAND	401	40.100	638	159.500	235	117.500	3	2.250	1277	319.3500
36	SALUMBAR	398	39.800	410	102.500	150	75.000	7	5.250	965	222.5500
37	SAWAI MADHOPUR	245	24.500	370	92.500	136	68.000	1	0.750	752	185.7500
38	SIKAR	694	69.400	524	131.000	77	38.500	0	0.000	1295	238.9000
39	SIROHI	151	15.100	352	88.000	199	99.500	15	11.250	717	213.8500
40	TONK	539	53.900	469	117.250	114	57.000	0	0.000	1122	228.1500
41	UDAIPUR	731	73.100	1381	345.250	454	227.000	22	16.500	2588	661.8500

	TOTAL	18923	1892.300	23282	5820.500	7817	3908.500	296	222.000	50318	11843.300
--	-------	-------	----------	-------	----------	------	----------	-----	---------	-------	-----------

परिशिष्ट-1

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर) A-1

विद्यालय का नाम यू डाईस कोड.....
 ब्लॉक कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में विद्यालय को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि रु में से राशि का उपयोग एसएमसी / एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पू.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी / एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाईस 2023-24 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
 सचिव
 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्य
 ालय प्रबन्धन समिति

हस्ताक्षर
 अध्यक्ष
 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय
 प्रबन्धन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (पीईईओ / यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

A-2

कार्यालय पीईईओ / यूसीईईओ ब्लॉक जिला

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ / यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	PEEO / UCEEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू-डाई स	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
 सचिव
 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
 अध्यक्ष
 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (ब्लॉक कार्यालय स्तर) A-3
उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 हेतु जिला कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट मद में कुल राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल राशि जारी की गयी।

ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :-

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि उपयोग का विवरण								
क्र.सं.	PEEO / UCEEO कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग परन्तु अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधिशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
योग								

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (जिला स्तर) A-4
उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में जिला को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रुपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

11) विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन –

- पीईईओ/यूसीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/औ.शि./F- /CSG दिशा-निर्देश-2025-26/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

दिनांक :

- 1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीबीईओ/पीईईओ/यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
- 4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 7- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 8- समस्त जिला परियोजना समन्वयक/अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
- 9- कार्यालय उपयोग हेतु।